न्यायालय अवर न्यायाधीश प्रथम
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0— 449 सन् 2009

संजय सिंह व अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 शैल कुंअर व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांकः—

06.03.2020

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 2 की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 03.08.2016 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी सं0 2 की ओर से आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है। टंकक की गलती से ओभर राइटिंग से कुछ बातें गलत टंकित हो गई है और कुछ बातें टंकित होना छुट गया है जिसका सुधार होना न्यायहित में जरूरी है। प्रस्तावित संशोधन सामान्य एवं औपचारिक प्रकृति का है इससे वाद के स्वरूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित मरम्मती द्वारा प्रतिवादी कई अन्य बातों को जोड़ना चाहते हैं, न्यायहित में संशोधन किया जाना आवश्यक है अतः निवेदन है कि बयान

तहरीरी के आवेदन में लिखित बातों का संशोधन कर दिया जाए।

वादीगण की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। वादीगण का प्रतिउत्तर में कथन है कि प्रतिवादी सं0 2 ने गलत बयानात के साथ आवेदन पत्र दाखिल किया है, जो स्वीकार होने योग्य नहीं है। प्रस्तावित संशोधन आवेदन पत्र बहुत विलंब से दाखिल किया गया है। वर्तमान में इस वाद में प्रतिवादी के तरफ से साक्ष्य चल रहा है। प्रस्तावित संशोधन का विषय वस्तु प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा दाखिल उत्तर पत्र के विषय वस्तु से बल्किुल भिन्न है, जिससे उत्तर पत्र का विषय वस्तु परिवर्तन हो जाएगा एवं वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। प्रतिवादी सं0 2 की तरफ से उत्तर पत्र का संशोधन करने के लिए कोई विशेष कारण नहीं दर्शाया गया है अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा दाखिल किया गया संशोधन आवेदन अस्वीकृत किया जाय।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में विचारण प्रारंभ हो चुका है और वादीगण का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। यह वाद वर्ष 2009 का है जिसका निष्पादन शीघ्र किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से बयान तहरीरी में जिस संशोधन की मांग की गई है वह बहुत ही विस्तृत है जिससे बयान तहरीरी का

विषय वस्तु परिवर्तित हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में इस वाद में पुनः वादीगण का साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

अतः प्रतिवादी सं0 2 की ओर से प्रस्तावित संशोधन हेतु दाखिल आवेदन पोषणिय नहीं है अतः प्रतिवादी सं0 2 की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को खारिज किया जाता है।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक– 16.03.2020

सब जज प्रथम
सोनपुर सारण।